(c) if not, whether it will be taken up with Pakistan authorities in coming Indo-Pakistan talks?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI JASWANT SINGH): (a) to (c) During Prime Minister's visits to Pakistan on 20-21 February 1999, the issue of Hindu and Sikh shrines did get discussed. The SGPC proposal for a role in the maintenance of Sikh shrines located in Pakistan was conveyed to the Pakistani side. Similarly the issue of Hindu shrines, particularly Katasraj and Hinglaj featured during discussions.

प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन

1770. **श्री गोपाल सिंह जी॰ सोलंकी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार का प्रशासनिक ढांचे में सुधार और इसके पुनर्गठन करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;

(ख) क्या सरकार का प्रशासनिक ढांचे में व्याप्त कमियों की जांच करने और इस संबंध में उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने के उद्देश्य से किसी सुधार आयोग/समिति का गठन करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम॰आर॰ जनार्दनन): (क) सरकार ने प्रशासनिक कार्य-कुशलता को बढ़ाने की दृष्टि से समय-समय पर अपने प्रशासनिक ढांचे में सुधार लाने और इसका पुनर्गठन करने के लिए अनेक उपाय किये हैं। सरकार द्वारा किये गये कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नानुसार हैं:—

— सरकारी कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण, तैनाती, पदोन्नति और स्थानांतरण के लिए प्रक्रियाओं और पद्धतियों में सुधार लाने संबंधी उपाय;

— कार्यविधियों के सरलीकरण, प्राधिकार सौंपने, जवाबदेही लागू करने और लोक शिकायतों का शीघ्र तथा सहानुभूतिपूर्वक निवारण करने के लिए जवाबदेह प्रशासन संबंधी कार्यक्रम के अंतर्गत उपाय।

यह भी उल्लेख किया जाता है कि 24 मई, 1997 को हुये मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में प्रभावी और उत्तरदायी प्रशासन के बारे में एक कार्य योजना पर चर्चा की गई थी और इसे अनुमोदित किया गया था। इस कार्य योजना में तीन मसलों पर विचार किया गया अर्थात् प्रशासन को जवाबदेह और नागरिक हितैषी बनाना, पारदर्शिता और सूचना के अधिकार को सुनिश्चित करना तथा सिविल सेवाओं को साफ-सुथरा और प्रेरणादायक बनाने के लिये उपाय करना। सम्मेलन में लिये गए निर्णय के अनुसरण में, भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संगठनों ने 50 से अधिक नागरिक चार्टर तैयार कर लिये हैं। संबंधित संगठन की कार्य-पद्धतियों और स्कीमों के बारे में सूचना उपलब्ध कराने तथा व्यक्तिगत मामलों की स्थिति से संबंधित जानकारी हासिल कराने के लिये मंत्रालयों/विभागों में 40 से अधिक सूचना और सुविधा काउंटर स्थापित किये गए है। लोक शिकायतों के निवारण से संबंधित तंत्र को पर्याप्त रूप से सुदृढ़ किया गया है। 40 से अधिक विभागों ने उनके द्वारा प्रशासित कानूनों, विनियमों और प्रक्रियाओं की व्यापक समीक्षा की है। इस समीक्षा के आधार पर कई मंत्रालयों/विभागों ने कानूनों, विनियमों और प्रक्रियाओं में उपयुक्त संशोधन करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। मई, 1998 में गठित प्रशासनिक कानूनों की समीक्षा से संबंधित आयोग ने 30 सितम्बर, 1998 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। आयोग द्वारा की गई महत्वपूर्ण सिफारिशों में केन्द्रीय कानूनों में से लगभग 50% कानूनों (2500 कानूनों में से लगभग 1300 कानूनों) को निरस्त करना, 109 निर्दिष्ट अधिनियमों की विवेचनात्मक सूची में शीघ्र संशोधन करना, सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रशासनिक कानूनों (नियमों, विनियमों, कार्यकारी अनुदेशों आदि) का प्रलेखन, अंतर्देशीय और विदेशी निवेशकों, व्यापार और उद्योग, उपभोक्ताओं/ निर्यातकों और आयातकों की संभावनाओं के संदर्भ में सांविधियों और कानूनों का सामंजस्यीकरण तथा व्यवहार्य वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र का विकास शामिल है। सभी मंत्रालयों/विभागों को तथा सभी राज्यों/संघ-शासित क्षेत्र सरकारों के मुख्य सचिवों को इस अनुरोध के साथ भेज दी गई हैं कि वे उसमें दी गई विभिन्न सिफारिशों की जांच करें और उन्हें कार्यान्वित करने हेतु उपयुक्त कार्य योजना तैयार करें। सरकार ने रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के कार्यान्वयन संबंधी अनुवर्ती कार्रवाई पर निगरानी रखने हेतु सचिव (कार्मिक) की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति का गठन किया है।

(ख) से (घ) इस समय सरकार के प्रशासनिक ढांचे पर विचार करने के संबंध में सुधार आयोग/समिति गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, प्रशासनिक सुधार करने के लिए कुछ उपाय कार्यान्वित करने हेतु कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, प्रशासनिक सुधार सरकार की निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया का एक हिस्सा है।

Vetting of Penalty By UPSC

1771. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the time taken by the UPSC in vetting the penalty imposed after holding an inquiry by a Department/Ministry;

(b) the time taken by the Ministry or Department in issuing the necessary orders for imposition of the penalty in such cases; and

(c) the number of cases lying pending in the Ministry of HRD for reinstatement/removal from service on the basis of the penalty imposed by the Department and vetted by UPSC?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE) (SHRI M.R. KADAMBUR JANARTHANAN): (a) The Union Public Service Commission do not vet the Penalty imposed after hodling an equiry by a Department/Ministry. However, the commission is consulted in disciplinary cases as per UPSC (Exemption from Consultation) Regulations, 1958 under Article 320 (3) (C) of the Constitution of India. It is quasi-judicial function of the Commission which normally takes about 3 to 6 months.

(b) The Disciplinary Authority alone is the competent authority to take a final decision on the quantum of penalty after careful consideration of all the material as well as the advice tendered by the UPSC wherever required. The time taken for such consideration depends upon the complexity and volume in each case. However, instructions have been issued in May, 1985, which were reiterated in October, 1997 that in cases in which UPSC is to be consulted, the final decision in the matter should be taken within one month of the receipt of their advice. The time taken by the Ministry/ Department in issuing the necessary orders for imposition of penalty in such cases is not centrally maintained or monitored.

(c) According to the information furnished in the last week of February, 1999 by the Ministry of Human Resource Development, no such case is lying pending in their Ministry for imposition of penalty after consulting the UPSC.

Language-wise Data on Central Government Employees

1772. SHRI C.O. POULOUSE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state the percentage of various linguistic people working in Central Government offices out of total employees in the country, linguistic-wise?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE) (SHRI M.R. KADAMBUR JANARTHANAN): In accordance with the provisions of Article 14 and 16 of the Constitution, equality of opportunity should be provided to all citizens in matters relating to employment under the State and no discrimination shall be made on grounds only of religion, race, caste, sex, descent, place of birth, residence or any of them. Since recruitment is not made on the basis of race, coummunity, religion, place of birth etc., no linguistic-wise data relating to Central Government employees is maintained.